



पशुधनं नित्यं सर्वलोकोपकारकम्।

Ph.No. 0151 - 2540028 (O)
2549348 (Fax)
regrajuvas@gmail.com



RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Dr. Vishnu Sharma
Vice-Chancellor

प्रथम अपील संख्या 143/2020

श्री निशांत चुघ
पुत्र श्री दीवान चन्द चुघ
वार्ड नं. 07, बस स्टेण्ड के पास,
अनुपगढ जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी,
राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,
बीकानेर

प्रत्यर्थी

अपील प्रस्तुत करने की दिनांक 19.10.2020
अपील में निर्णय की दिनांक 05.01.2021

निर्णय

अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत यह प्रथम अपील मूल आवेदन पत्र दिनांक 04.09.2020 के माध्यम से कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर से चाही गई सूचना समयावधि में उपलब्ध नहीं कराने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलार्थी/आवेदक ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिनांक 04.09.2020 प्रस्तुत कर सूचना चाही गयी। जिस पर कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी अपने पत्रांक F(1138)/RAJUVAS/Reg./RTI/2020/463 दिनांक 18.12.2020 से आवेदक को प्रत्युत्तर प्रेषित किया गया। अपीलार्थी/आवेदक द्वारा चाही गयी सूचना व कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजुवास, बीकानेर के उक्त वर्णित पत्र दिनांक 18.12.2020 के द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को प्रेषित प्रत्युत्तर/सूचना का विवरण निम्नानुसार है :-

क.सं.	वांछित सूचना	प्रत्युत्तर/सूचना			
1	निदेशक कार्य (भू.अ.) राजुवास, बीकानेर में या अधिनस्त कार्य कर रहे स्थाई केन्द्र, राज्य या विश्वविद्यालय कर्मचारियों का नाम, पद व पे-ग्रेड सूचना तालिकाबद्ध।	बिन्दू संख्या 1 के संबंध में तालिकाबद्ध सूचना निम्न प्रकार से है:-			
		क. सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद	ग्रेड-पे कार्यग्रहण दिनांक
		1.	पी.एम.मितल	निदेशक कार्य (भू.अ.)	एल-16 31.08.20
		2.	पी.एस.शेखावत	सहा. लेखाधिकारी-I	एल-14 02.01.18
		3.	तुलसीराम	वायरमैन	एन-11 01.07.88
		4.	रामचन्द्र	हैल्पर	एल-04 29.12.78
		5.	बाबूसिंह	बेलदार	एल-03 26.09.94
		6.	जगदीशचन्द्र	बेलदार	एल-03 17.03.05
		7.	श्यामसुन्दर रंगा	बेलदार	एल-03 18.05.89
		8.	खाजू खां	च.श्रे.कर्म.	एल-02 01.02.13
2	उक्त वर्णित कर्मचारियों का कार्य प्रभार, कार्यप्रभार परिभाषा व अधिकार सूचना तालिकाबद्ध।	बिन्दू संख्या 2 के संबंध में लेख है कि उपरोक्त सभी कर्मचारी अपने पदों के अनुरूप सौंपे गये कार्य संपादित करते हैं।			

3	उक्त वर्णित कर्मचारियों के पदस्थापन की तारीख जिस दिन वो विभाग में स्थानान्तरित होकर आए और कहां से आए सूचना तालिकाबद्ध।	बिन्दू संख्या 03 के संबंध में लेख है कि तालिका के क.सं. 01 से 06 तक कर्मचारी सेवा नियुक्ति से लगातार इसी कार्यालय में कार्यरत है तथा कम संख्या 07 पर अंकित कर्मचारी खाजु खां कार्यालय प्रभारी, पशुधन अनुसंधान केन्द्र, बल्लभनगर (नवानिया) से स्थानान्तरित होकर आये।
4	उक्त वर्णित कर्मचारियों में से 2 साल से अधिक एक पद पर कार्य कर रहे कर्मचारियों का पद, प्रभार या पदस्थापन स्थान बदलने की कार्यवाही की सूचना जिससे राज्य केन्द्र सरकार की कर्मचारी स्थानान्तरण नीति का निर्वाह हुआ हो। तालिकाबद्ध सूचना।	बिन्दू संख्या 4 के संबंध में लेख है कि कार्यालय में कर्मचारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारणों से आवश्यकता के अनुसार किये जाते हैं।
5	उक्त वर्णित कर्मचारियों में से किसी के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही हुई तो तो उसकी पूर्ण सूचना।	बिन्दू संख्या 5 के संबंध में लेख है कि एक भी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच लंबित नहीं है।
6	उक्त वर्णित कर्मचारियों में से किसी के खिलाफ कोई अन्य कुल विभाग जैसे नगर निगम, इनकम टैक्स विभाग, पुलिस विभाग, न्याय विभाग आदि द्वारा कार्यवाही हो तो उसकी पूर्ण सूचना। तालिकाबद्ध सूचना।	बिन्दू संख्या 6 के संबंध में लेख है कि एक भी कर्मचारी के विरुद्ध नगर निगम, इनकम टैक्स, पुलिस व न्याय विभाग में कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।
7	उक्त वर्णित कर्मचारियों में से किसी के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार या गलत व्यवहार की कोई शिकायत पेश की गयी हो तो प्रतिलिपि।	बिन्दू संख्या 7 के संबंध में लेख है कि एक भी कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार व गलत व्यवहार संबंधी शिकायत लंबित नहीं है।
8	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 धारा 7-ए(1) के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी का पूर्ण नाम पता फोन नं.।	बिन्दू संख्या 8 के संबंध में लेख है कि माननीय कुलपति एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बिजय भवन पैलेस, पं. दीन दयाल उपाध्याय सर्किल के पास, बीकानेर पिन-334001 (राज.) के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा विश्वविद्यालय के रजिस्टर्ड पत्रांक एफ (अ-143/20)VCS/RAJUVAS/RTI/2020/453 दिनांक 18.12.2020 के द्वारा अपील में सुनवाई हेतु अपीलार्थी को व्यक्तिशः उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने का विकल्प दिया गया। आज सुनवाई दिनांक 05.01.2021 को अपीलार्थी स्वयं उपस्थित होकर लिखित कथन प्रस्तुत किया कि लोकसूचना अधिकारी के पत्र दिनांक 18.12.2020 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से अपीलार्थी संतुष्ट है। दौरान सुनवाई कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी की और से पक्ष प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी/आवेदक के द्वारा चाही गई सूचना पत्र क्रमांक 463 दिनांक 18.12.2020 के द्वारा आवेदक को सूचना प्रेषित कर दी गयी है। अतः अपील निरर्थक हो चुकी है। उक्त तथ्य के मध्यनजर प्रत्यर्थी पक्ष में अपील को खारिज करने की प्रार्थना की है।

मैंने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का मनन किया एवं अभिलेख का परिशीलन किया। उक्त वर्णित तथ्यों, तर्कों, संबंधित अभिलेख व नियमों के परिप्रेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को पत्र दिनांक 18.12.2020 से प्रत्युत्तर/सूचना प्रदान की जा चुकी है तथा कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन के निस्तारण में संपादित की गई कार्यवाही उचित है। ऐसी स्थिति में उक्त तथ्यों व आधारों पर अपील अपीलार्थी आगे लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है अतः अपील अपीलार्थी उक्त तथ्यों व आधारों पर खारिज की जाती है। निर्णय खुले चैम्बर में सुनाया गया। निर्णय प्रति उभयपक्षों को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

(डॉ. विष्णु शर्मा)
कुलपति एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
राजुवास, बीकानेर